

RETIREMENT AGE OF GOVERNMENT EMPLOYEES

*552. SHRI JAGAT NARAIN: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether there is a proposal under Government's consideration to raise the retirement age of the Central Government employees from 58 to 60 years; and

(b) if so, when a decision is likely to be taken in the matter?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI L. N. MISHRA): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

PERSONS DETAINED UNDER D.I.R.

*553. SHRI G. MURAHARI: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) the number of persons belonging to various parties arrested under the Defence of India Rules since 1st August, 1965;

(b) the party-wise and State-wise break-up of those detenus; and

(c) how many of them have since been released?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI JAISUKHLAL HATHI): (a) to (c) The information is being collected and will be placed on the Table of the House.

तीन भाषाओं का फार्मूला

*554. { श्री भगवत नारायण भार्गव :
श्री राम सिंह :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 1964-65 के दौरान तीन भाषाओं के फार्मूले को कार्यान्वित करने के लिए भारत के प्रत्येक राज्य ने क्या कदम उठाये हैं और कौन-कौन सी भाषाओं की पढ़ाई अनिवार्य कर दी है ?

† [THREE LANGUAGE FORMULA

*554. { SHRI B. N. BHARGAVA:
SHRI RAM SINGH:

Will the Minister of EDUCATION be pleased to state the details of the steps taken by each of the States in India during the year 1964-65 for implementing the three language formula and the names of the languages whose teaching has been made compulsory by each of the said States?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुन्दरम् रामचन्द्रन् : विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

सामान्यतया राज्य सरकारों ने त्रिभाषा सूत्र (फार्मूला) को स्वीकार कर लिया है और स्थानीय हालतों के अनुरूप संशोधनों और व्याख्याओं के साथ लागू कर दिया है।

अब तक की प्राप्त सूचना के अनुसार, असम, मध्य प्रदेश, पंजाब और उत्तर प्रदेश की राज्य सरकारों द्वारा 1964-65 के दौरान निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं —

असम ने अपने उन भाषाई अल्पसंख्यकों के विद्यार्थियों के लिए उनकी मातृ-भाषा के माध्यम से शिक्षा की व्यवस्था की है, जिनकी मातृ-भाषा राज्य-सभा के अतिरिक्त और कोई हो।

माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, मध्य प्रदेश ने पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्याओं में संशोधन किया है।

पंजाब में यह फार्मूला जर्दू भाषी जनता पर कुछ संशोधन के साथ लागू है (नेपाली और भोटी भाषाएं भी पढ़ाई जाती हैं)। ऐसे विद्या-